न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 252/2011

1 नोपाराम (मृतक)।
1/1 शान्ति देवी पत्नी नोपाराम।
1/2 नेमीचन्द पुत्र नोपाराम।
1/3 मन्नी देवी पुत्री नोपाराम।
1/4 सन्तोष पुत्री नोपाराम।
1/5 सुशीला पुत्री नोपाराम।
2 हीरालाल पुत्र नारायणराम।
3 कंवरी देवी पुत्री नारायणराम।
4 रामी देवी पुत्री नारायणराम।
5 लाली देवी पुत्री नारायणराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामबक्शपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामूराम पुत्र दुदाराम।
2 झुमरमल पुत्र दुदाराम।
3 अर्जुनलाल पुत्र दुदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामबक्सपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2011
न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर उनवानी
वादपत्र नारायण आदि बनाम रामूराम आदि वाद
संख्या 64/2000 जिसके तहत दावा आंशिक डिक्री

उपस्थिति :

1. श्री कैलाश सोनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2000 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता नारायण ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व विचारण न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 3.75 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 204 रकबा 3.68 हैक्टेयर वाके ग्राम रामबक्सपुरा तहसील व जिला सीकर के विषय में एक उद्घोषणा व बंटवारा तथा दुरूस्ती रेवेन्यू रिकार्ड का दावा इस आधार पर पेश किया गया कि उपरोक्त आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है तथा इन भूमियों का पक्षकारान के मध्य विभाजन नही होने के कारण विभाजन किया जाकर खसरा नम्बर 195 अपीलांट्स के हिस्से व खसरा नम्बर 204 रेस्पोडेंट के हिस्से में रखी जावें तथा इन दोनों खसरा नम्बर में आवागमन हेतु बहुत पूर्व से प्रचलित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रास्ता जो खसरा नम्बर 195 के मध्य में से होता हुआ संलग्न नक्शे में क से घ तक दिखाया गया है, वह अस्तित्व में है तथा रहेगा तथा इसके अलावा नया रास्ता नही निकालने हेतु रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावें कि इस वाद की प्रतिरक्षा रेस्पोडेंट ने इस आधार पर ली कि वाद मात्र खसरा नम्बर 195 अधिक उपजाउ होने के कारण वादीगण ने उक्त भूमि हड़पने के आशय से पेश किया है। इस आधार पर तनकीयात बनाई गई तथा वादीगण अपीलांट्स ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजात पेश किए तथा मौखिक साक्ष्य पेश की। जबकि रेस्पोडेंट को अनेकोनेक अवसर दिये गये इसके उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही किए जाने के कारण उनकी साक्ष्य बन्द कर दी गई। परन्तु उक्त वास्तविकता को देखे बिना तथा बिना कोई प्रक्रिया अपनाये इस प्रकार के कन्टेस्टेड मुकदमे का तनकीयात के आधार पर निर्णय नही कर सरसरी तौर पर चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय के सन्दर्भ में पक्षकारों में विभाजन की डिक्री को लेकर कोई विवाद नही है। विवाद केवल मात्र रास्ते को लेकर है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी अनुतोष, बिना किसी साक्ष्य के खसरा नम्बर 195 की उतरी सीमा व पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 11 फिट चौड़ा रास्ता दिया है जबकि इस रास्ते का वर्णन न तो रेस्पोडेंट ने अपने जवाब दावे में किया है, ना कोई साक्ष्य पेश की है, ना अपीलांट ने इस सन्दर्भ में सहमती प्रदान की है एवं ना ही यह रास्ता मौके पर मौजुद है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस सहमती पत्र का अंकन किया जा रहा है। यह सहमती पत्र साक्ष्य में प्रदर्शित नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में इसे साक्ष्य में नही पढ़ा जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में धारा 212 के आवेदन में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उस मौका कमिश्नर रिपोर्ट में मौके पर अवस्थित रास्ते का स्पष्ट अंकन है एवं नजरी नक्शा भी संलग्न है। अत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री में पारित रास्ता विलोपित किया जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे मे अंकित रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के विभाजन की डिक्री को लेकर कोई विवाद नही है। विवाद रास्ते को लेकर है विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सहमती पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय ने सही रूप से रास्ते का प्रावधान रखा है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय के सन्दर्भ में पक्षकारों में विभाजन की डिक्री को लेकर कोई विवाद नही है। विवाद केवल मात्र रास्ते को लेकर है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी अनुतोष, बिना किसी साक्ष्य के खसरा नम्बर 195 की उतरी सीमा व पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 11 फिट चौड़ा रास्ता दिया है जबकि इस रास्ते का वर्णन न तो रेस्पोडेंट ने अपने जवाब दावे में किया है, ना कोई साक्ष्य पेश की है, ना अपीलांट ने इस सन्दर्भ में सहमती प्रदान की है एवं ना ही यह रास्ता मौके पर मौजुद है। विचारण न्यायालय द्वारा जिस सहमती पत्र का अंकन किया जा रहा है। यह सहमती पत्र साक्ष्य में प्रदर्शित नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में इसे साक्ष्य में नही पढ़ा जा सकता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में धारा 212 के आवेदन में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उस मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.07.2000 में मौके पर अवस्थित रास्ते का स्पष्ट अंकन है एवं नजरी नक्शा भी संलग्न है। नजरी नक्शे के अवलोकन के उपरान्त इस रास्ते से किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की कठिनाई होना प्रतीत नही होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री में पारित रास्ता विलोपित किया जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे मे अंकित रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये जाते है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 05.07.2000 में संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। शेष विचाराधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर